FORM No. III

फर्द अहकाम(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

प्रार्थना पत्र/ 169/2023 दायर दिनांक 05/09/2023

प्रकरण धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उनवान

रामगोपाल पिता रामनारायण कुल्मी नि0 औसाव तहसील सुनेल

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड राज0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिषियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
05/09/23	प्रार्थी रामगोपाल पिता रामनारायण कुल्मी नि0 औसाव तहसील सुनेल द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर ग्राम औसाव तहसील सुनेल की आराजी ख0न0 1913/71, 1914/553, 1916/557 एवं 1919/550 भूमि की राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही तरमीम अशुद्धि को दुरूस्त करने बाबत निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण मे रिपोर्ट तहसीलदार सुनेल ली गई। तहसीलदार सुनेल की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम औसाव तहसील सुनेल की आराजी ख0न0 1913/71, 1914/553, 1916/557 एवं 1919/550 भूमि की तरमीम नक्शा पूर्व मे हुये सहमति बटवारा से होना बताया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को सूना गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया कि उक्त आराजी मे पूर्व मे हुये आपसी सहमति बटवारा से खातेदारी ली गई हैं। तरमीम नक्शा पूर्व मे हुये सहमति बटवारा अनुसार है एवं मुताबिक रेकार्ड मे दर्ज हैं। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज से सभी खातेदारान की तरमीम शुद्धि हेतु सहमति नही हैं चुकिं प्रकरण एक से अधिक खातेदारान से सम्बधित है, जिनको प्रकरण मे पक्षकार नही बनाया गया। प्रार्थी प्रभावित खातेदारान को आवश्यक पक्षकार बनाकर सक्षम न्यायालय मे नियमानुसार वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता हैं। प्रार्थी द्वारा इस प्रकार बिना सहखातेदारो की [illegible] चाही गई तरमीम शुद्धि किया जाना [illegible] है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर [illegible] जाता हैं। प्रार्थी [illegible] पेश कर आवश्यक पक्षकार न्यायालय में नियमित प्रार्थना पत्र पेश कर आवश्यक पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र दायर करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर रजिस्टर में खारजा लगाया जावे। उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan

Date: 2023.10.20 14:28:40 IST

Reason: SelfAttested